राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	117/2020 कुसुम चौहान / विजय कुमार शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/9/20

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो. संख्या 2 लगायत 6 इस आशय का प्रस्तुत किया कि अविभाजित कृषि भूमि आराजी खाता संख्या 450 खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2402 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2403 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2439 रकबा 0.3700 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोली पटवार हल्का दांतली भू.अ.नि. क्षेत्र गौनेर तहसील सांगानेर , जिला जयपुर में स्थित है | उक्त आराजी में वादी का अविभाजित 1/5 हिस्सा निहित है तथा वादी उक्त हिस्से 1/5 का रिकार्डेड खातेदार व काश्तकार है | प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उक्त वर्णित आराजीयात भूमि के सहकाश्तकार है तथा उनका उक्त भूमि में सयुक्त हिस्सा निहित है | वादपत्र में आगे अंकित किया गया है की वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से क्रय की गयी हिस्से 1/5 भूमि के पूर्व खातेदारान एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा आपसी मनबट के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात भूमि का बटवारा कर रखा था तथा मनबट के आधार पर अपने-अपने हक़ हिस्से पर काबिज थे | तत्तपश्चात पूर्व खातेदारान द्वारा अपने हक़ व् हिस्से की भूमि जिस पर वे काबिज थी वादी को विक्रय कर उक्त भूमि का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया | जिस की जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को भलीभांति रही है | उक्त अविभाजित भूमि का किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा आदिनांक तक विधिवत विभाजन नही किया गया है | वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से उक्त वर्णित भूमि का विधिवत बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया जाता आ रहा है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नही करवा रहे है तथा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते चले आ रहे है | प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 दिनांक 10/12/2003 को अपने साथ अन्य चार-पांच व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वादी की कब्जे शुदा भूमि पर तार फेंसिंग करने हेतु भूमि की नाम जोल करवाने लगे तथा वादी को धमकी दी | वादपत्र के अंत में उक्त आराजीयात का बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स विधिवत विभाजन किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की ईस्तदुआ की गयी | जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तामिल करवाई गयी | आदेशिका दिनांक 23/06/2016 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी हुये एक माह से अधिक की अवधि हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के उपस्थित

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कुसुम चौहान / विजय कुमार शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी हुक्म
117/2020	2	

नही आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया | एवं प्रतिवादी संख्या 5 का जवाब बंद किये जाने का अंकन नही किया गया | तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11/07/2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में नियत कर वादी द्वारा वाद में साक्ष्य पेश नही करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किये जाने का अंकन कर विवादित भूमि के सन्दर्भ में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स उभयपक्ष की उपस्थिति में तकासमाँ कर अलग-अलग लगान व् खाता कायम कर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तिन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 15/07/2016 मे पूर्व प्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | तत्तपश्चात दिनांक 06/06/2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में अंकित किया कि वक्त निरिक्षण यह पाया गया की पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पारित नही किये जाने के कारण आदिनांक तक कुरेजात प्रस्ताव अप्राप्त है अत: अधिवक्ता के अनुरोध पर न्यायहित में न्यायालय आपने द्वार में पत्रावली के समुचित निस्तारण हेतु यह उचित प्रतीत होता है की प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जावे | तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो | जिसके उपरान्त दिनांक 28/11/2019 को तहसीलदार सांगानेर से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिशल की जाकर पत्रावली वास्ते आपत्ति बहस कुरेजात दिनांक 06/12/2019 नियत की गयी | दिनांक 06/12/2019 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी पी सी बाबत एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने का प्रस्तुत हुआ | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर दिनांक 20/12/2019 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही समाप्त की गयी | तत्तपश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात मय नक्शा मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट कब्जे के अनुसार दुरुस्त नही आई है | अत: आपत्ति स्वीकार कर सलग्न नक्शे के अनुसार अंतिम निर्णय किया जावे | जिस पर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 14/02/2020 में अंकित किया कि वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पर no objection अंकित करते हुये आपत्ति को स्वीकार करने में सहमती दी | वकील उभयपक्ष ने प्राप्त कुरेजात में संशोधन करते हुये अंतिम डिक्री हेतु निवेदन किया | बहस प्रार्थना पत्र वकील उभयपक्ष सुनी गयी | पत्रावली वास्ते आदेश आगामी पेशी दिनांक 24/02/2020 को पेश हो | तत्तपश्चात दिनांक 24/02/2020 को प्रार्थिया कुसुम चौहान की और से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 24/02/2020 में अंकित किया कि बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नम्बर व तारीख हुक्म	117/2020 कुसुम चौहान / विजय कुमार शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3

10 (2) सपठित 151 जाप्ता दीवानी वकील उभयपक्ष सुनी गयी | वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर no objection अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु सहमती दी | बगौर बहस मनन किया प्रार्थना पत्र का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में संशोधित किया जाता है | वकील वादी संशोधित उनवान पेश करे | पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित उनवान आगामी [पेशी दिनांक 25/02/2020 को पेश हो | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25/02/2020 की आदेशिका में अंकित किया गया की पत्रावली पेश हुई | बकुलाय फरिकेन उपस्थित | वकील वादी की और से संशोधित उनवान पेश किया गया शामिल हो | नकल वकील प्रतिवादी को दिलवाई गयी | पत्रावली वास्ते बहस कुरेजात दिनांक 26/02/2020 को पेश हो | दिनांक 26/02/2020 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया की पत्रावली पेश हुई | बकुलाय फरिकेन उपस्थित | प्रतिवादी संख्या 6 बहस कुर्रेजात हेतु समय चाहते है अंतिम अवसर दिया जाता है | वास्ते बहस कुरेजात रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक 28/02/2020 को पेश हो | तत्तपश्चात दिनांक 28/02/2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नक्शे अनुसार डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किये जाने का अंकन कर वाद में अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की गयी की वाद विरुद्द प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है की आप द्वारा प्रेषित कुरेजात में अप्रार्थी संख्या द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार संशोधन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग-अलग खाता व लगान कायम कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत करे | व् वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार श्रीमती शकुन्तला बल्दवा पत्नी डा. विष्णु बल्दवा जाति ब्राह्मण निवासी 38 चन्द्रकला कोलोनी दुर्गापुरा, जयपुर के स्थान पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेता श्रीमती कुसुम चौहान पत्नी श्री कृष्ण कुमार सिंह जाति राजपूत निवासी 5 h 17 इंद्रागाँधी नगर जगतपुरा जयपुर का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे | कुरेजात रिपोर्ट एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस इस निर्णय का अभिंग अंग रहेगा | जिसके विरुद्द प्रतिवादी संख्या 6/अपिलार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचाराधीन वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना क़ानूनी रूप से आवश्यक होने के बावजूद वादी द्वारा अपिलार्थीया अथवा उसके पूर्व हकअधिकारी खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कुसुम चौहान / विनय कुमार शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर और तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
117/2020		4

श्रीमती शकुन्तला को पक्षकार वाद ही नही बनाया गया, ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद संधारणीय ही नही था। एवं उक्त तथ्य प्रार्थी/अपिलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से एवं कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आजाने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिअनुसार वाद को ख़ारिज किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपिलार्थीया को पक्षकार वाद तो समायोजीय किया गया लेकिन आननद फानन में ही तिन पेशियों में ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमती मात्र के आधार पर वाद अंतिम डिक्री कर दिया गया। जो न्याय संगत नही है। अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात रिपोर्ट की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया की उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर पटवारी द्वारा दिनांक 11/11/2019 को हस्ताक्षर किये गये है एवं तहसीलदार द्वारा दिनांक 21/11/2019 को काउन्टर हस्ताक्षर किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नही गये न ही उनके द्वारा मौके पर पक्षकारान की कोई सुनवाई की गयी। जबकी राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की सुनवाई कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात रिपोर्ट में अपिलार्थीया के पूर्ववती खातेदार शकुन्तला के प्रतिनिधि के तौर पर रामसहाय बलाई को दर्शाया जाकर उनके हस्ताक्षर पटवारी द्वारा करवाये गये। जबकी किसी भी आराजीयात के विभाजंन से पूर्व खातेदार अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक है। किन्तु उक्त कुरेजात रिपोर्ट में उक्त तथा कथित रामसहाय बलाई किस विधिक दस्तावेज के आधार पर शकुन्तला देवी का प्रतिनिधि होना माना गया है का वर्णन भी अंकित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मे मिलीभगत कर पटवारी हल्का द्वारा खुद के स्तर पर मनमाने रूप से कुरेजात प्रस्ताव बनाये गये है एवं उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपिलार्थीया की सुनवाई कर बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स तकासमा किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो ने अपनी बहस में निवेदन किया की अपिलार्थीया द्वारा यह अपील अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

117/2020

कुसुम चौहान / विनय कुमार शर्मा

गयी है किन्तु अपिलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने के पश्चात एवं इस अपील के माध्यम से अन्तिम डिक्री के सन्दर्भ में कोई विधिक आपत्ति दर्ज ही नही कराई जाकर प्राथमिक डिक्री के सन्दर्भ में आपत्तिया दौराने बहस की गयी है। जो अन्तिम डिक्री के विरुद्व प्रस्तुत इस अपील में कोई मायने नही रखती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की गयी है। जिसमे कोई विधिक त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा दौराने बहस यह आपत्ति उठाई गयी है कि अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा समस्त बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्व की गई है। जबकी अपीलार्थी द्वारा पारित अन्तिम डिक्री के विरुद्व प्रस्तुत की गई। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 11/07/2016 का अवलोकन किया गया, यह तथ्य स्पष्ट है कि दौराने पारित किये जाने प्रारम्भिक डिक्री मूल सहखातेदार श्रीमती शकुन्तला को पक्षकार वाद नही बनाया गया था किन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "तहसीलदार सांगानेर को निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात ख.न. 1557 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2402 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2403 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2439 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.3800 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोली पटवार हल्का दांतली भू.अ.नि. क्षेत्र गौनेर तहसील सांगानेर , जिला जयपुर स्थित का विधिसम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स उभयपक्ष की उपस्थिति में तकासमॉं कर अलग-अलग लगान व खाता कायम कर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में नियत पेशी से पूर्व भिजवाये।" अत: चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार बटवारे के आदेश दिये गये थे एवं राजस्व रिकार्ड में श्रीमती शकुन्तला का नाम भी बतौर सहखातेदार दर्ज है, अत: प्रारम्भिक डिक्री के सन्दर्भ में उनके हिस्से तक शकुन्तला देवी को आपत्ति का प्रशन ही नही उठता था। किन्तु चूँकि वादी द्वारा वाद में श्रीमती शकुन्तला देवी जो कि सहखातेदार थी को पक्षकार नही बनाया गया, अत: उनके हिस्से की क्रेता श्रीमती कुसुम चौहान ने दिनांक 19/02/2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24/02/2020 को अन्य पक्षों

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कुसुम चौहान / विजय कुमार शर्मा

तारीख हुक्म	117/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6	

द्वारा अनापत्ति दर्शाने से स्वीकार किया गया | इस प्रकार अपिलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 6 के बतौर पक्षकार निहित की गयी | ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 6/अपिलार्थीया को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, जिसे बगैर अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया गया है वह न्यायसंगत नही होता है | इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में निर्धारित नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में पक्षकारो की समुचित सुनवाई कर कुरेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने आवश्यक होते है किन्तु विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन मे यह स्पष्ट है कि उक्त कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार की गैरमौजुदगी में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये जिस पर तहसीलदार द्वारा मात्र काउन्टर हस्ताक्षर किये गये है जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन के सन्दर्भ में निर्धारित नियम 18 से 21 के अनुरूप नही है एवं ऐसे कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधिसम्मत धारित नही की जा सकती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 25/02/2020 एवं डिक्री दिनांक 28/02/2020 (25/02/2020) निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार सांगानेर को पुन: समक्त पक्षकारो की उपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित करे एवं तत्तपश्चात कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुरेजात रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण करे | तदनुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित करे | उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13/10/2020 को उपस्थित हो |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 28/09/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर